न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

6(ए) वाद संख्या–03/2017

बिहार सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल –बनाम– सुधांशु कुमार राय

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
23/05/2018	**आदेश** उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपीलवाद अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल ने अपने पत्रांक 370 दिनांक 31.12.2016 से बिरौल थाना कांड संख्या–437/2016 दिनांक 30.12.2016 में जब्त 40 (चालीस) क्विंटल गेहूँ को अधिहरण हेतु अनुशंसा की गयी है। सामान्य अनुक्रम में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 17.02.2017 से जब्त 40 (चालीस) क्विंटल गेहूँ को सरकारी दर पर बिक्री कराकर प्राप्त राशि अनुमंडल नजारत में जमा करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल एवं विपक्षी को कारण पृच्छा करने हेतु सूचना निर्गत किया गया। विपक्षी से कारण पृच्छा एवं अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल से प्रतिवेदन अप्राप्त है। विपक्षी (वाहन स्वामी) द्वारा अपने अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कारण पृच्छा दाखिल किया गया है, जो अभिलेख पर संधारित है। विपक्षी (वाहन स्वामी) राहुल कुमार यादव, पिता–विनोद यादव, साकिन–भवानीपुर, थाना–सदर, जिला–दरभंगा के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रसंगिक वाद में जब्त पिकअप भान नं0–BR06G-7596 का वास्तविक स्वामी है। वास्तविकता यह है कि मुकदमा के अभियुक्त सुधांशु कुमार राय ने वर्णित पिकअप भान वाहन स्वामी से किराये पर लिए थे। उक्त जब्त गेहूँ से वाहन स्वामी को कोई मतलब व सरोकार नहीं था, न ही है। इनका यह भी कथन है कि जब्त गेहूँ श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल के आदेश पर विक्रय हो चुका है। वाहन स्वामी की ओर से राजकीय क्षति नहीं की गयी है। जब्त वाहन खुले आकाश में रहने के कारण क्षति हो रही है। आवेदक एवं आवेदक के परिवारिक सदस्यों का भरण–पोषण को मुख्य स्रोत वर्णित पिकअप भान का आमदनी ही है। वाहन जब्त रहने कारण वाहन स्वामी आर्थिक संकट में है। इनका यह भी कथन है कि पिकअप भान के स्वामित्व एवं अन्य कागजात आवेदक के नाम से है, छायाप्रति संलग्न है। विज्ञ अधिवक्ता जब्त पिकअप भान नं0–BR06G-7596 को मुक्त करने हेतु अनुरोध करते हैं। विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कथन है कि जब्त	

वाहन के विमुक्ति हेतु वाहन स्वामी जब्त खाद्यान्न के सरकारी दर से कुल राशि नाजिर रसीद पर अनुमंडल नजारत में जमा करने पर वाहन विमुक्ति एवं बिरौल थाना कांड संख्या–437/16 दिनांक 30.12.2016 में जब्त 40 क्विंटल गेहूँ राज्यसात् होना चाहिये।

अभिलेख पर संधारित कागजातों के अवलोन से ज्ञात होता है कि जब्त खाद्यान्न जन वितरण प्रणाली का है, जिसे निजी व्यापार की आड़ में परिवहन किया जा रहा था। विपक्षी का यह कृत्य पी0डी0एस0 खाद्यान्न के कालाबाजारी का द्योतक है।

अतएव बिरौल थाना कांड संख्या–437/2016 दिनांक 30.12.2016 में जब्त 40 क्विंटल गेहूँ सरकारी दर पर प्राप्त राशि सरकार के विहित शीर्ष में कोषागार, बेनीपुर के माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करेंगे एवं वाहन स्वामी से जब्त खाद्यान्न के सरकारी मूल्य के बराबर नाजिर रसीद पर राशि प्राप्त कर जब्त वाहन को विमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त विवेचना के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल को अनुपालनार्थ भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

23/05/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा